समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग)
पत्रांक................/सा0सु0को0

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा
प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मुरलीगंज
प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पुरैनी
प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ग्वालपाड़ा।

मधेपुरा, दिनांक.............................

विषय : **एडिप योजना (विशेष) के अन्तर्गत दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों के परीक्षण हेतु शिविर आयोजन के संबंध में।**

प्रसंग : विपणन अधिकारी, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर पत्र-एम0एस01डी05, दिनांक 25-01-2017 एवं श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, माननीय सांसद सदस्य (लोकसभा), मधेपुरा के पत्रांक-1363, दिनांक 21-01-2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (भारत सरकार का उपक्रम), जी0टी0 रोड, कानपुर के द्वारा एडिप योजना (विशेष) के अन्तर्गत दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों के परीक्षण हेतु मधेपुरा जिला के निम्नांकित प्रखण्ड में शिविर का आयोजन करने हेतु तिथि एवं ससमय संसूचित किया गया है :-

क्र0	प्रखण्ड का नाम	तिथि	समय
01	मुरलीगंज	20 फरवरी, 2017	दोपहर 12 बजे
02	पुरैनी	20 फरवरी, 2017	शाम 04 बजे
03	ग्वालपाड़ा	22 फरवरी, 2017	दोपहर 12 बजे
04	नगर परिषद्, मधेपुरा	22 फरवरी, 2017	शाम 04 बजे

उक्त शिविर को संबंधित निगम द्वारा स्वीकृत किया गया है तथा उपरोक्त तिथियों को निगम के विशेषज्ञों की टीम निर्धारित स्थानों पर ससमय पहुंच जायेंगी, फलस्वरूप परीक्षण शिविर के सफल आयोजन हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए, ताकि अधिकाधिक संख्या में दिव्यांगजनों को भारत सरकार की जनकल्याणकारी योजना से लाभान्वित किया जा सके। साथ ही उक्त शिविर के लिए निम्न व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए :-

(क) पंजीकरण हेतु हॉल की व्यवस्था, जांच विशेषज्ञों हेतु मेज एवं कुर्सी सहित।

(ख) लाभार्थियों हेतु बैठने की व्यवस्था।

(ग) कम्प्यूटरीकृत पंजीकरण हेतु लाईट की व्यवस्था।

(घ) ऐसे दिव्यांगजन जिनके पास दिव्यांगत प्रमाण–पत्र (**Disability Certificate**) उपलब्ध नहीं है, उनकी सुविधा हेतु कार्यक्रम स्थल में दिव्यांगत प्रमाण–पत्र जारी करवाने हेतु चिकित्सा प्रकोष्ठ की स्थापना (मु0 चिकित्सा अधिकारी द्वारा नामित चिकित्सक दल के साथ)।

(ड़) ऐसे दिव्यांगजन जिनके पास आय प्रमाण–पत्र उपलब्ध नहीं है, उनकी सुविधा हेतु कार्यक्रम स्थल पर आय प्रमाण–पत्र जारी करवाने की व्यवस्था (तहसील दार अथवा तहसील /वि0खण्ड के राजस्व अधिकारियों की टीम)।

(च) यातायात नियंत्रण एवं संचालन (दिव्यांगों के सुचारू रूप से आने अथवा जाने हेतु)।

(छ) पेयजल व्यवस्था एवं अन्य नागरिक सुविधायें।

अतएव निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें, ताकि संबंधित निगम को संसूचित किया जा सके। कार्यक्रम हेतु नोडल पदाधिकारी श्री मुकेश कुमार, सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा होंगे।

विश्वासभाजन
ह0/–
जिलाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक 27 ..../सा0सु0को0, मधेपुरा, दिनांक 7.2.17 ....

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त निर्धारित तिथि एवं स्थल पर मेडिकल टीम (चिकित्सक, जीवन रक्षक दवाई सहित) ससमय प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं सभी संबंधितों को ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : विपणन अधिकारी, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, जी0टी0 रोड, कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, माननीय सांसद सदस्य (लोकसभा), मधेपुरा को उनके पत्रांक–1363, दिनांक 21-01-2017 के आलोक में सादर सूचनार्थ समर्पित।

जिलाधिकारी
मधेपुरा। 7/2/17

E/ Khalid/2017/Letter -42-